

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग [—वर्ण १]
PART I—Section 1

राष्ट्रिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २४५] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर १६, १९७५/अग्राहायण २५, १८९७
 No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 1975/AGRAHAYANA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th December 1975

SUBJECT :—*Import Policy for the year April, 1975, March, 1976*

No.129-ITC (PN)/75.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import 'Trade Control Policy Reg' Book (Volume I) for the period April, 1975—March, 1976.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in Appendix 43 of the Import 'Trade Control Policy Reg' Book (Volume I) for the period April, 1975—March, 1976.—

Page No. of the Reg. Book	Reference	Details of amendments
1	2	3
301	Section V, Appendix 43, S. No. 2— Loud Speakers—Item No. (vi).	(a) The existing entry at item No. (vi) (a) may be deemed to have been substituted as follows :— “(vi) (a)—Plast Glue”

1	2	3
		(b) The following new entry may be deemed to have been inserted after item No. (vi) (b) :— “(vi) (c)—<i>Opanol</i> (Isobutylene Polymers)” (c) The following new entry may be deemed to have been inserted after item No. (vii) (b) :— “(vii) (c)—Polymethacrylic Resins” (d) The following new item may be deemed to have been added after item No. (vii):— “(viii)—<i>Synthetic Rubber except</i> (Butyl Rubber) SBR type.”
301	Section V, Appendix 43, S.No. 3—Band Switches/Band Charge switches.	The following new items may be deemed to have been added :— “(xxi) (a) Polycarbonate Moulding powder. } 40% (b) ABS Moulding Powder
302	Section V, Appendix 43, S. No. 6—PVC Gang Condensers. Item No. (vii).	(a) The existing entry at item No. (vii) may be deemed to have been substituted as follows :— “(vii) Chemical Solution for treating Polyfilm Powder/Liquid.” (b) The following new item may be deemed to have been added :— “(viii) Copper Foil of high purity (99.9%) and close tolerance (Thickness .05mm and .08 mm Tolerances .005mm and .008 mm). 20%
302	Section V, Appendix 43, S.No. 7—Plastic Film Capacitors.	The following new item may be deemed to have been added :— “(xii) Ethyl Cellulose
302	Section V, Appendix 43, S. No. 11—Ceramic Capacitors.	The following new items may be deemed to have been added :— “(xiii) Polladium Chloride } 5% (with items vi to xii).” (xiv) Cerium Oxide }
302	Section V, Appendix 43, S. No. 12—Carbon Resistors.	The following new items may be deemed to have been added within the face value restriction of 5% as applicable to items (iii) & (iv) :— “(v) Methyl Cellulose (vi) Silicic Acid (vii) Quartz Powder (viii) Polyvinyl Alcohol (ix) Gold Bronze”

1	2	3
302	Section V, Appendix 43, S. No. 13—Cones for Loudspeakers.	The following words may be deemed to have been added after the words Fibre Stuff in line 2—item (i) :— “(Wood Pulp, Cotton Pulp etc.)”

(MISS) ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

मावर्जनिक सूचन.

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 1975

विषय :— अप्रैल 1975—मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति

सं० 129—आई० टा० सो० (प० एन०)/75.—अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक बा०-1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक बा०-1) के परिशिष्ट 43 में निम्नलिखित मशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	मशोधनों के व्यौरे
---------------------	--------	-------------------

1	2	3
301	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं० 2—लाउड-स्पीकर्स—मद सं० (6)	(ए) मद सं० (6) (ए) पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :— “(6) (ए)—प्लास्ट ग्लू” (बी) मद सं० (6) (बी) के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि निविष्ट की गई समझी जाए :— “(6) (सी)—ओपेनाल (आईसोब्यूटिलीन पोलिमर्स)” (सी) मद सं० (7) (बी) के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि निविष्ट की गई समझी जाए :— “(7) (सी)—पोलिमेथाक्राइलिक रेजिन्स”

1

2

3

(डी) मद सं० (7) के बाद निम्नलिखित नई मद जोड़ी गई समझी जाए :—

“(8) सिन्थेटिक रबड़,

(क्युटिल रबड़) एम बी आर टाइप को छोड़ कर।”

301 खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं० निम्नलिखित नई मदें जोड़ी गई समझी जाएं :—

3—ब्रेड स्वीचिज/ब्रेड चेन्ज स्वीचिज

“(21) (ए) पोलिकाबॉनेट मोल्डिंग पाउडर
(बी) ए. बी. एस. मोल्डिंग पाउडर } 40%”

302 खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं०

6—पी बी सी गेन्स कन्डेन्सर्स
मद सं० (7)

(ए) मद सं० (7) पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

“(7) ड्रॉटिंग पोलिफिल्म पाउडर/द्रव के लिए रसायन घोल”

(बी) निम्नलिखित नई मद जोड़ी गई समझी जाए :—

“(8) उच्च शुद्धता (99.9%)
और घनिष्ट सह्य सीमा
(मोटाई .05 मि०मी० और
.08 मि०मी० सह्य सीमा
.005 मि०मी० और
.008 मि०मी०) की
ताम्बा पर्णिका } 20%”

302 खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं०
7—प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स

निम्नलिखित नई मदें जोड़ी गई समझी जाए :—

“(12) एथिल सेल्युलोज”

302 खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं०
11—सिरैमिक कैपेसिटर्स

निम्नलिखित नई मदें जोड़ी गई समझी जाएं :—

“(13) पोलैडियम क्लोराइड } 5 प्रतिशत
(14) सीरियम ब्रोमाइड } (मद 6 से
12 तक
के साथ)।”

1	2	3
302	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं० 12—कार्बन रेसिसटर्स	निम्नलिखित नई मदे, मर्दे (3) और (4) के लिए यथा प्रयोज्य 5 प्रतिशत के अंकित मूल्य प्रतिबंध के भीतर जोड़ी गई समझी जाएं :— “(5) मेथिल सेल्युलोज । (6) सिलिसी एसिड । (7) क्वार्टज पाउडर । (8) पोलिविनाइल अल्कोहल । (9) गोल्ड ब्रोज ।”
302	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम सं० 13—लाउडस्पीकर्स के लिए कोने ।	पंक्ति 2—मद (1) में फाइबर स्टफ शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े गए समझे जाएं :— “(काष्ठ लुगदी, कपास लुगदी आदि)”

कुमारी रोमा मजुमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

